कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र–2 सामुदायिक केन्द्र प्रीत विहार दिल्ली एवं सचिव सी.आई.एस.सी.ई. प्रगति हाउस तीसरी मंजिल 47–48 नेहरू पैलेस नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021–22 हेतु सी.बी.एस.सी.ई / सी.आई.एस.सी.ई नई दिल्ली से संबंद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांकः– **प.14(8)शिक्षा–1 / 2009 पार्ट–8 जयपुर दिनांक 30.10.2021** की पालना में गैर सरकारी विद्यालय को इस प्रमाण पत्र में अंकित सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबंद्धता प्राप्ति हेतु निम्न शर्तो के अधीन **ऑफलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र** जारी किया जाता हैं:–

1.उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2021–22 के लिए ही मान्य होगा।
2.विद्यालय / संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय–समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
3.विद्यालय / संस्था द्वारा राज्य / राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4.राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किये गये दिशा–निर्देश की अक्षरशः पालना की जावेगी।
5.विद्यालय / संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों / नियमों की अक्षरशः पालना की जावेगी।
6.विद्यालय / संस्था परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं करेगा।
7.राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम–2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तो की पालना की करेगा।
8.राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय–समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
9.विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जावेगीं।
10.भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी।
11.भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण / उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
12.उक्त प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले कार्योत्तर अनुमोदन के अध्याधीन जारी किया जाता है।

उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरूद्व कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

विद्यालय का नाम	संबंद्वता CBSE/CISCE	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का सत्रः	माध्यम
DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL JODHPUR	CBSE	2021–22	ENGLISH

क्रमांकः–शिविरा–मा / पीएसपी–सी / अ–2 / 60567 / 2021–22

दिनांकः– 30/10/21

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर।

Scanned with CamScanner